तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट हनुमानसिंह बनाम तहसीलदार 2019/00134	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पीठासीन अधिकारी
श्री शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

उपस्थिति –

श्री श्यामनिरंजन बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– 28.07.2021

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भकरी मौलास के खसरा नम्बर 1000 रकबा 1.2216 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 659/14 मीन है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है, नये सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा नया नक्शा ट्रेश तैयार किया है उसमें प्रार्थी की भूमि के खसरा नम्बर 1000 अंकित किये है तथा उस भूमि का मौजूदा स्थान की बजाय नक्शा ट्रेश में उत्तर दिशा में अंकित कर दिया है वर्तमान नक्शे में पश्चिमी दिशा में खसरा नम्बर 1002 की भूमि लगती है जबकि वास्तव में व मौके पर पुराने नक्श के अनुसार पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 1008 की भूमि लगती है मौके की स्थिति भी पुराने नक्शे के अनुसार सही है इससे स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियो की गलती से नक्शा ट्रेस में अंकित खसरा नम्बर 1000 की भूमि अपने स्थान की बजाय उत्तर दिशा में गलत अंकित कर दिया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम भकरी मौलास के खसरा नम्बर 1000 रकबा 1.2216 हैक्टयर भूमि जिसके नये नक्शा ट्रेस में संशोधन कर पुराने नक्शे में अंकित स्थान पर ही दर्शित किये जाने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी राजपैरोकार तहसीलदार परबतसर ने जबाब पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 1000 व पुराने खसरा नम्बर 659/14 मीन के पश्चिमी दिशा में भंवर कंवर पत्नी मूलसिंह के संयुक्त खातेदारी है जिसका खसरा नम्बर 1008 है वर्तमान राजस्व नक्शा लट्टे में खसरा न्बर 1002 है मौके पर खसरा नम्बर 1008 का कब्जा है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1000 मौजूदा स्थान और नक्शा ट्रेस में सही अंकित है सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा कोई त्रृटि नहीं है खसरा नम्बर 1000 की तरमीम को परिवर्तन किया जना रिकार्ड तथा मौके के अनुसार उचित नहीं है क्योकि मौके व नक्शा अपनी अपनी जगह सही है।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

प्रार्थीनी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत 2073–76 की प्रति पेश की है जिसके अनुसार ग्राम भकरी मौलास के खसरा नम्बर 1000 रकबा 1.2216 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, तथा इसमें से 1.0192 हैक्टयर भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ गै.मु. होटल दर्ज हो चुंकि है। प्रार्थी उक्त खातेदारी सुदा भूमि के नक्शा ट्रेस में गत सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिको द्वारा परिवर्तन किया जाना बताया है, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है प्रतिवादी राजपैरोकार तहसीलदार परबतसर ने अपने जबाब में स्पष्ट रूप से बताया है कि गत खसरा नम्बर 659/14 के वर्तमान खसरा नम्बर 1000 के नक्शा ट्रेस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है मौके एवं पूर्व नक्शा ट्रेस में हो रखी तरमीम के अनुसार ही वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम है जिससे नक्शा ट्रेस में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजपैरोकार तहसीलदार के जबाब के अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथन उचित प्रतीत नहीं होते है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नही होता है। नक्शा ट्रेस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट में प्रतिपादित नियमो में नहीं आता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर